

अन्तर्गत पंजीकृत है और जिनका कानूनी दर्जा है, स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। आवेदन देने के समय, संगठन अपने सम्बन्धित क्षेत्र में पंजीकृत संगठन के रूप में कम के कम तीन वर्षों से कार्यरत हो। आवेदन गैर-सरकारी संगठनों के पास पर्याप्त अवसंरचना, संबंधित क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता, सुविधाओं, संसाधनों, अनुभव सहित अच्छी वित्तीय स्थिति तथा

परियोजना चलाने के लिए प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए।

(ग) पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश से प्राप्त तीन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा छः प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तावों को अनुमोदित करना इस बात पर निर्भर करता है कि स्कीम के तहत अपेक्षाओं को कितने समय में पूरा किया जाना है।

विवरण

राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं	
	1996-97	1997-98
1. आन्ध्र प्रदेश	—	4
2. बिहार	1	—
3. गुजरात	1	—
4. हरियाणा	—	1
5. कर्नाटक	1	—
6. केरल	1	—
7. मणिपुर	1	—
8. मध्य प्रदेश	1	—
9. महाराष्ट्र	—	1
10. त्रिपुरा	—	1
11. उत्तर प्रदेश	1	2
12. पश्चिम बंगाल	—	1

200th Death Anniversary of Tipu Sultan

4243. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to commemorate the 200th anniversary of the death of Tipu Sultan, falling in 1999.

(b) if not, whether Government will consider to commemorate the death anniversary and constitute a Committee; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI):

(a) Not yet Sir.

(b) and (c) The Government has yet not considered the issue of observance of 200th death anniversary of Tipu Sultan.

दलित वर्गों के लड़कों को शिक्षा देना

4244. श्री रामगोपाल यादव:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या छानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात के मद्देनजर कि आजकल सामान्य शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा काफी महंगी हो गई है, सामान्य, निम्न और दलित वर्गों के परिवारों के लड़कों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

पानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना 1992 जिन्हें 1992 में संसद के समक्ष रख दिया गया था, में दिए गए बल के अनुसरण में मुख्यतः शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप के रूप में अनेक योजनाएँ शुरू की गई थीं। ये योजनाएँ हैं आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सामुदायिक पालिटेक्निक लोक जुबिशा, शिक्षा कर्मों परियोजना, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना आदि। ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् का भी गठन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में समानता और सामाजिक न्याय से युक्त उत्कृष्टता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में नवोदय विद्यालय प्रयासरत है। सामुदायिक पालिटेक्निक की योजना में कौशल-उन्मुख तकनीकों/व्यावसायिक ट्रेडों में स्थान-संस्कृति विशिष्ट अनौपचारिक, आवश्यकता आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण के जरिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा छोटा काम समझने की प्रवृत्ति को दूर करने पर बल दिया जाता है। प्रशिक्षण को खासतौर पर बेरोजगारी/अर्धबेरोजगार युवाओं, स्कूल/कालेज छोड़ देने वालों, मध्यम वर्ग तथा लाभवंचित वर्गों, जिनमें महिलाएँ अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं, की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है।

प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा सभी सरकारी की तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में या तो पूर्णतः निःशुल्क है या फिर आंशिक रूप से निःशुल्क है जबकि उच्च तथा तकनीकी शिक्षा को काफी सब्सिडी प्राप्त है। +2 स्तर पर 9.35 लाख छात्रों को व्यावसायिक धारा की ओर मोड़ने की क्षमता भी सृजित कर ली गई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

Schemes of Financial Assistance for Sexually Harassed and Helpless Women

4245. **SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any scheme has been chalked out by Government to give financial assistance to the sexually harassed and helpless women of the age of 18 to lead independent life;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to rehabilitate them?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) Although there is no such scheme exclusively for sexually harassed and helpless women, they are given preference under the ongoing schemes of training, Employment and Income Generation for Women e.g., Support to Training and Employment Programme for Women and Women's Economic Programme.

(c) Besides these schemes, the Government of India implements the scheme of providing assistance to Short Stay Homes for Women and Girls to protect and rehabilitate those women and girls who are facing social and moral danger due to family problems, mental strains, social ostracism, exploitation or other causes. The scheme envisages providing the services/facilities viz. medical care, psychiatric treatment, case work services, occupational therapy, education, vocational and recreational activities.

361 Short Stay Homes have been sanctioned so far under the scheme in the country.